राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

गोपाल दास बनाम राजस्थान राज्य।
(एकलपीठ दाण्डिक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या-84/2015)
अन्तर्गत
(एकलपीठ दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-481/2015)
.....

31.03.2015

माननीय न्यायाधिपति श्री विष्णु कुमार माथुर

श्री अनिल उपमन, अधि. वास्ते श्री अजय गोयल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री राम रतन गुर्जर, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी द्वारा यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-3,अलवर द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन दाण्डिक अपील संख्या-199/2011 में प्रार्थी के विरूद्ध पारित निर्णय एवं सजा दिनांक-26.03.2015 अन्तर्गत धारा-279, 337, 338 व 304-A, भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ एक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत या गया है जिसमें अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-3,अलवर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध पारित सजा को पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी प्रकरण के विचारण तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील की विचाराधीनता के दौरान जमानत पर स्वतंत्र था तथा वर्तमान में प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं। उनका कथन है कि पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में समय लगना संभावित है अत: अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-3,अलवर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध पारित सजा के आदेश दिनांक-26.03.2015 के निष्पादन को पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित फरमाते हुए प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किया जावे। लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी तथा सुयोग्य लोक अभियोजक को सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का गहनता पूर्वक अनुशीलन किया गया।

प्रार्थी द्वारा पुनरीक्षण याचिका के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय नियम,1952 के नियम-311(3) का प्रमाण पत्र संयोजित किया गया है, जिससे प्रकट है कि प्रार्थी प्रकरण के विचारण तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील की विचाराधीनता के दौरान जमानत पर स्वतंत्र था तथा वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। पुनरीक्षण याचिका के

निस्तारण में समय लगना सम्भावित है। अत: प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-3,अलवर द्वारा पारित सजा आदेश दिनांक-26.03.2015 के निष्पादन को पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होती है।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी गोपाल दास पुत्र सानू राम (हाल बन्दी-जिला कारागृह,अलवर) विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार 1,00,000/-रूपये (अक्षरे एक लाख) का व्यक्तिगत बंध पत्र व 50,000/-रूपये (अक्षरे पचास हजार) राशि की दो सुदृड एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह दिनांक-01.05.2015 को एवं तदुपरान्त जब भी न्यायालय द्वारा आहूत किया जावेगा, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जावेगी तो अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-3,अलवर द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन दाण्डिक अपील संख्या-199/2011 में पारित निर्णय दिनांक-26.03.2015 द्वारा प्रार्थी को दी गई सजा का निष्पादन इस पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित रहेगा। यदि प्रार्थी अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब उपरोक्तानुसार जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(न्या. विष्णु कुमार माथुर)

एमसीएस.
64
"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P. S.